संख्या-80/2020/315/तेइस-14-2020-13(जनरल)2020(नक्सल)

प्रेषक,

भाष्कर पाण्डेय,
उप सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 31 जुलाई, 2020**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58, जिला योजना (नक्सल) के अन्तर्गत नौ चालू परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4072/बी0 जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 06.07.2020 एवं पत्रांक-4631/बी0 जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 15.07.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना (नक्सल) के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा निम्नवत सूची में उल्लिखित जनपद-सोनभद्र एवं चन्दौली की स्वीकृत कुल नौ चालू परियोजनाओं हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ कॉलम-9 में उल्लिखित कुल धनराशि रू0 400.01 लाख (रू0 चार करोड़ एक हजार मात्र) को निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	31.03.19 तक आवंटन एवं व्यय	01.04.19 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. चंदौली	ग्राम सभा दरौली तेलरा से ग्राम खुटहट तक मार्ग का नवनिर्माण।	88/23-14-2010-110आ0/2010, दिनांक 18.01.2011	5.00	293.79	129.02	164.77	**88.25**
2	प्रा.ख. चंदौली	बघरी से तम्मागढ़ मार्ग का नवनिर्माण।	405/2016/1254/तेईस-14-16-09आ0जि0यो0(न0)/16, दि0-25.11.2016	2.50	145.97	89.19	56.78	**40.75**
3	प्रा.ख. सोनभद्र	पचपेड़या मवेषी अस्पताल से तेनुडाड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	531/2016/10आ0 जि0यो0(न)/तेईस-14-2016-10आ0जि0यो0(न)/16, दि0-28.12.2016	4.00	302.38	282.83	19.55	**19.55**
4	प्रा.ख. सोनभद्र	ठरी से पुरनिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	531/2016/10आ0 जि0यो0(न)/तेईस-14-2016-10आ0जि0यो0(न)/16, दि0-28.12.2016	4.00	302.43	282.86	19.57	**19.57**

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5	प्रा.ख. सोनभद्र	भरगोन से महम स्कूल होते हुए जेठावा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	196/20145/04जि0 यो0(न0)/23-14-15-04(न0)/14, दि-28.03.2015	5.00	399.56	341.14	58.42	**58.42**
6	प्रा.ख. सोनभद्र	ब्लिया डाड से मेदुरा घाटी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	196/20145/04जि0 यो0(न0)/23-14-15-04(न0)/14, दि-28.03.2015	4.00	311.86	288.53	23.33	**23.33**
7	प्रा.ख. सोनभद्र	शाहपुरवा से कम्हरिया, बनरदेवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	196/20145/04जि0 यो0(न0)/23-14-15-04(न0)/14, दि-28.03.2015	6.00	445.05	188.44	256.61	**88.25**
8	प्रा.ख. सोनभद्र	भैसवारा से बैसाखी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	196/20145/04जि0 यो0(न0)/23-14-15-04(न0)/14, दि-28.03.2015	5.00	411.87	372.82	39.05	**39.05**
9	प्रा.ख. सोनभद्र	पिपरा से बिजुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	531/2016/10आ0 जि0यो0(न)/तेईस-14-2016-10आ0जि0यो0(न)/16, दि0-28.12.2016	4.00	310.60	287.76	22.84	**22.84**
			योग	**39.50**	**2923.51**	**2262.59**	**660.92**	**400.01**

(1) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी तथा स्वीकृत मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(3) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों से आच्छादित नहीं है, पूर्व में किसी सम्पर्क मार्ग से जुडे नहीं हैं, तथा प्रस्तावित सभी मार्ग सिंगल कनेक्टिविटी के है।

(4) मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

(6) आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

(7) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(10) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(12) परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का निर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(भाष्कर पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>संख्या-80/2020/315(1)/23-14-2020-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- संबंधित आयुक्त, वाराणसी मण्डल/विन्ध्यांचल मण्डल ।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र एवं चन्दौली ।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी मण्डल/विन्ध्यांचल मण्डल, लोक निर्माण विभाग ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
9- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सोनभद्र एवं चन्दौली ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भाष्कर पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in